प्रेस नोट दिनांक 24.01.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

विद्युत उपकरण चोरी कांड का सफल अनावरण—तीन बड़ी घटनाओं का खुलासा, शातिर 03 अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पुलिस व स्वॉट टीम द्वारा गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद-

प्रतापगढ़ में विद्युत तार चोरी के मामले में 03 अभियुक्त चिलबिला कोर्ट तिराहे से गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में विद्युत तार चोरी के 03 अभियुक्त चिलबिला कोर्ट तिराहे से गिरफ्तार, साथ ही उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद महिंद्रा पिकअप, 4 प्लास्टिक बोरियों में 05 बंडल एल्यूमीनियम बिजली के सफेद तार व 01 अदद कटर, 03 अदद मोबाइल फोन व नगद 3000/-रु0 बरामद किया गया-

प्रतापगढ़: चिलबिला, ग्राम बघवाईत और ग्राम रसोइया क्षेत्रों में विद्युत तार चोरी की घटनाएं— थाना कोतवाली नगर, महेशगंज और दिलीपपुर थानों में मुकदमा पंजीकृत किया गया-

प्रतापगढ़ ।
प्रथम घटना-
बिजनेस प्लान के अंतर्गत सर्किल प्रतापगढ़ द्वारा कराए गए 33/11 केवी चिलबिला सब-स्टेशन से किशुनगंज नहर क्षेत्र की लाइन पर सोनहवा पुल से सरोज बस्ती तक लगे लगभग 3600 मीटर विद्युत तार को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात्रि में काटकर चोरी कर लिया गया, जिससे विभाग को भारी आर्थिक क्षति हुई है। उक्त के संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0असं0 670/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

द्वितीय घटना-
ग्राम बघवाईत के जंगल क्षेत्र में स्थित 25 केवीए ट्रांसफॉर्मर से बनी एलटी लाइन की 15 पोलों की 3×50 मिमी केबल को दिनांक 14/12/2025 की रात्रि अज्ञात चोरों ने काटकर चोरी कर लिया तथा 5 विद्युत पोलों को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। उक्त के संबंध में थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 0271/2025 धारा 303(2), 324(4), 136(1)(c) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

तृतीय घटना-
दिनांक 03/04.11.2025 की रात्रि में ग्राम रसोइया स्थित NBS स्कूल के पास स्थापित 25 KVA ट्रांसफार्मर से निर्गत LT लाइन की ABC केबिल (3x50+1x16), लगभग 400 मीटर लंबाई, अज्ञात चोरों द्वारा काटकर चोरी कर ली गई, जिससे विभाग को लगभग ₹88,816.00 की क्षति हुई है। उक्त के संबंध में थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0 194/2025 धारा 303(2 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस व स्वॉट टीम द्वारा सर्विलांस सेल के सहयोग से देखभाल क्षेत्र/ तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत चिलबिला कोर्ट तिराहे के पास से उक्त अभियोगों से संबंधित घटना में प्रयुक्त 01 अदद महिंद्रा पिकअप, 4 प्लास्टिक बोरियों में 05 बंडल एल्यूमीनियम बिजली के सफेद तार व 01 अदद कटर, 03 अदद मोबाइल फोन व नगद 3000/-रु0 के साथ 03 अभियुक्तों, 01. मान सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी इटैला थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष, 02. भीम सिंह पुत्र हेमराज सिंह निवासी हुलासगढ़ थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 24 वर्ष, 03. दिव्यांश गौतम पुत्र पंकज गौतम निवासी गोड़े थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है।

उक्त अभियोगों से संबंधित अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद महिंद्रा पिकअप, 4 प्लास्टिक बोरियों में 05 बंडल एल्यूमीनियम बिजली के सफेद तार व 01 अदद कटर, 03 अदद मोबाइल फोन व नगद 3000/-रु0 की बरामदगी हुई है, जिसके आधार पर अभियोग उपरोक्तों मे धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्तों से पूछताछ करने एक साथ बताया गया कि यह तार हम लोगों ने मिलकर दिनांक 26/12/2025 की रात को ग्राम बेनीपुर के नहर के किनारे लग रहे नए बिजली खंभे से इसी कटर से काटकर चोरी किए है। हम लोगों के साथ हमारा एक और साथी अर्जुन सरोज पुत्र अज्ञात निवासी कमालगंज थाना सलवान जनपद रायबरेली भी था। हम लोगों इस चोरी किये गये तार को आज बेचने ले जा रहे है कि आप लोगों ने पकड़ लिया है।

अभियुक्तगणों का विवरण-
1. मान सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी इटैला थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।
2. भीम सिंह पुत्र हेमराज सिंह निवासी हुलासगढ़ थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 24 वर्ष।
3. दिव्यांश गौतम पुत्र पंकज गौतम निवासी गोड़े थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 19 वर्ष।

बरामदगी-
घटना में प्रयुक्त 01 अदद महिंद्रा पिकअप, 4 प्लास्टिक बोरियों में 05 बंडल एल्यूमीनियम बिजली के सफेद तार व 01 अदद कटर, 03 अदद मोबाइल फोन व नगद 3000/-रु0 बरामद।

अभियुक्त मान सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी इटैला थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष का अपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 0509/2024, धारा 305 बी एन एस, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 0430/2023, धारा 147, 323, 504, 506 भा.दं.सं., थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 0122/2024, धारा 147, 323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) एससी/एसटी अधिनियम तथा , थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 0360/2025, धारा 137(2), 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता, 2023, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0 0271/2025, धारा 303(2),324(4) बी एन एस, व धारा 136(1)(c) विधुत अधिनियम, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।
06. मु0अ0सं0 0194/2025, धारा 303(2) बीएनएस, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।
07. मु0अ0सं0 0670/2025, धारा 303(2) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त भीम सिंह पुत्र हेमराज सिंह निवासी हुलासगढ़ थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 24 वर्ष।
01. मु0अ0सं0 0271/2025, धारा 303(2),324(4) बी एन एस, व धारा 136(1)(c) विधुत अधिनियम, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 0194/2025, धारा 303(2) बीएनएस, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 0670/2025, धारा 303(2) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त दिव्यांश गौतम पुत्र पंकज गौतम निवासी गोड़े थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 19 वर्ष।
01. मु0अ0सं0 0271/2025, धारा 303(2),324(4) बी एन एस, व धारा 136(1)(c) विधुत अधिनियम, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 0194/2025, धारा 303(2) बीएनएस, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 0670/2025, धारा 303(2) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
थाना कोतवाली नगर-
उ0नि0 संदीप तिवारी मय हमराह उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव, उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी, का0 सुधीर कुमार का0 मान सिंह व चीता 6 मोबाइल में तैनात का0 मोहित कुमार व का0 अनिल यादव व चालक पीआरडी संतोष।

स्वॉट टीम- स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 अमित कुमार चौरसिया मय हमराह हे0का0 दिनेश सिंह, हे0का0 धनंजय राय, हे0का0 मोहित राज यादव, का0 आशुतोष पांडेय, का0 अरविंद दुबे, का0 सलमान।
सर्विलांस टीम- का0 सनोज कुमार।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा चोरी की मोबाइल के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 26.11.2025 को सायं वादिनी अपनी मौसी के बेटे के तिलक कार्यक्रम में कोपा (गोकुला), पोस्ट गौरामाफी, थाना आसपुर देवसरा, जिला प्रतापगढ़ में उपस्थित थी। जहाँ कार्यक्रम के दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिनी के मोबाइल फोन की चोरी की घटना कारित की गई। उक्त संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आसपुर देवसरा पर मु0अ0सं0-336/25, धारा 303(2) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री विजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 जावेद अहमद खां मय हमराह उ0नि0 संजय कुमार, का० कैलाश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मूखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-336/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. से संबंधित 01 अभियुक्त प्रभाकर गौतम उर्फ श्यामू पुत्र बुद्धिराम गौतम निवासी जहानाबाद थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत तेलियानी नहर के पास से चोरी की एक अदद मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त प्रभाकर गौतम उर्फ श्यामू के पास से चोरी की 01 अदद मोबाइल बरामद किया गया। बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2), 317(5) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
प्रभाकर गौतम उर्फ श्यामू पुत्र बुद्धिराम गौतम निवासी जहानाबाद थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैने दिनांक 26.11.02025 को ग्राम कोपा में यादव बस्ती में बरछा का प्रोग्राम था वही से मौका पाकर एक OPPO का मोबाइल चोरी करके भाग गया था आज मै उक्त मोबाइल बेचने की फिराक में था कि आप लोगो ने मुझ पकड़ लिया है।

बरामदगी- चोरी की 01 अदद OPPO मोबाइल हरा रंग बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 जावेद अहमद खां मय हमराह उ0नि0 संजय कुमार, का० कैलाश यादव थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

<u>थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।</u>

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा प्रेमी युगलों से रंगदारी वसूली करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

अभियुक्तों को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ए.टी.एल. ग्राउंड के पास से गिरफ्तार किया गया।

ए.टी.एल. ग्राउंड में प्रेमी युगलों से रंगदारी वसूली करने के संबंध में थाना कोतवाली देहात को मिली थी सूचना-

नवदंपति को ब्लैकमेल कर वसूली, एक अन्य युवक से भी हजारों की रंगदारी लेने का आरोप

प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रान्तर्गत ए.टी.एल. ग्राउंड में कुछ व्यक्ति अंधेरा होने के पश्चात आने-जाने वाले प्रेमी युगलों को पकड़कर उनके फोटो/वीडियो बनाते हैं तथा छिटाकशी करते हुए उनसे जबरन रंगदारी वसूलते हैं। सूचना के अनुसार उक्त व्यक्ति आज भी किसी प्रेमी युगल की तलाश में मौके पर मौजूद हैं।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रोहित सिंह मय हमराह का0 विपिन कुमार यादव, हे0का0 रामबचन, का0 विजय बहादुर, का0 नवीन गौतम, का0 हरदीप कुमार द्वारा मुखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्तों, 1. प्रदीप पुत्र संतलाल निवासी बड़नपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष , 2. अंकुश सिंह पुत्र दिनेश प्रताप सिंह निवासी बड़नपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 34 वर्ष, 3. मुन्ना गौतम उर्फ हरिप्रसाद पुत्र स्व0 मिश्रीलाल निवासी बड़नपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 34 वर्ष को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ए.टी.एल. ग्राउंड के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तार के संबंध में थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 26/2026 धारा 296,308(5) बीएनएस बनाम 03 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दौरान मौके पर एक मोटरसाइकिल पर सवार नवदंपति मिले, जिन्होंने बताया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उनसे जबरन धन की मांग की गई तथा धन न देने पर फोटो/वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। इसी क्रम में एक व्यक्ति निवासी पूरे

ओझा, थाना कोतवाली नगर ने अवगत कराया कि उक्त व्यक्तियों द्वारा उससे भी 8000 रुपये नकद, 2000 रुपये ऑनलाइन तथा पुनः 10000 रुपये की जबरन मांग की गई, जिसमें प्रदीप के नाम के यूपीआई खाते पर भुगतान किया गया।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग अक्सर शाम के समय यहां आते हैं। जब कोई भी प्रेमी युगल मिलता है उनको पड़कर उनका फोटो वीडियो बनाते हुए छीटाकशी करते हैं और फोटो वीडियो वायरल न करने का बताकर जबरदस्ती पैसे की मांग करते हैं। तो प्रेमी युगल डर के मारे केश या ऑनलाइनपैसा दे देते हैं। कल भी ऐसे ही प्रेमी युगल को हम लोगों ने पकड़ लिया था। गलती हो गई। अब दुबारा ऐसा नहीं करेंगे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. प्रदीप पुत्र संतलाल निवासी बड़नपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष।
02. अंकुश सिंह पुत्र दिनेश प्रताप सिंह निवासी बड़नपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 34 वर्ष।
03. मुन्ना गौतम उर्फ हरिप्रसाद पुत्र स्व0 मिश्रीलाल निवासी बड़नपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 34 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 रोहित सिंह मय हमराह का0 विपिन कुमार यादव, हे0का0 रामबचन, का0 विजय बहादुर, का0 नवीन गौतम, का0 हरदीप कुमार थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त शिवम यादव को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी हथिगवां श्री सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अजय कुमार मय हमराह म0उ0नि0 राखी सिंह, हे0 का0 संग्राम सिंह, म0आ0 नीलम, का0 गौरव कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा-69/352/351 (3) बीएनएस 2023 व 5 (L)/6 पाक्सो एक्ट थाना हथिगवां, प्रतापगढ़ से संबंधित 01

अभियुक्त शिवम यादव पुत्र कामता प्रसाद यादव निवासी ग्राम भोला का पुरवा बरना थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत जहानाबाद के पास हाइवे के किनारे से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- शिवम यादव पुत्र कामता प्रसाद यादव निवासी ग्राम भोला का पुरवा बरना थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 अजय कुमार मय हमराह म0उ0नि0 राखी सिंह, हे0 का0 संग्राम सिंह, म०आ0 नीलम, का0 गौरव कुमार थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना दिलीपपुर के उ0नि0 रमिल कुमार द्वारा मा० न्यायालय अपर प्रधान पारिवारिक न्यायालय, कक्ष संख्या-2, प्रयागराज के इजरा वाद संख्या 92 सन् 2023 रोशन आरा बनाम अफजल खान अन्तर्गत धारा 128 सी0आर0पी0सी0 से संबंधित 01 अभियुक्त अफजल खान पुत्र नईमुद्दीन खान निवासी ग्राम शिवसत पो० दान्धपुर, मुफरिड, रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ हाल पता ग्राम सराय नानकार थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अफजल खान पुत्र नईमुद्दीन खान निवासी ग्राम शिवसत पो० दान्धपुर, मुफरिड, रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ हाल पता ग्राम सराय नानकार थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 रमिल कुमार थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।